

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदमदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआअविनि/स्था-3/

/ 2025 / भोपाल,

दिनांक

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (विद्युत) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (विद्युत)" के पद पर वेतनमान रूपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्रं0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	सुश्री प्रतिराज मौर्या , पिता श्री राम सूरत सिंह, पता-नन्दगाँव, पोस्ट-निगाही, तहसील-सिंगरौली जिला-सिंगरौली म.प्र. पिन कोड-486890 मोबाईल नंबर-7999169738	अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
02	श्री शैलेन्द्र नागपुरे, पिता श्री फत्तू लाल नागपुरे, पता-ग्राम भानपुर, पोस्ट-नवेगांव-3, तहसील-खैरलाजी जिला-बालाघाट म.प्र. पिन कोड-481335 मोबाईल नंबर-8463836194, 6265040066	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समयावधि के अन्दर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
- अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

हस्ता/-

(अजय कुमार शर्मा)

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना

विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/1208/2025/भोपाल,

दिनांक 16/5/25

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 5- परियोजना यंत्री, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 संभाग-01 भोपाल की ओर निर्देशित कर वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।

(आलोक निगम)

अधीक्षण यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना

विकास निगम भोपाल

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदभदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआअविनि/स्था-3/

/2025/ भोपाल,

दिनांक

//आदेश//

मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (सिविल) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (सिविल)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्र0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री रोहित कुमार गौतम, पिता श्री कैलाश प्रसाद गौतम, पता-ग्राम-घोघरी पोस्ट-नरवार जिला-उमरिया म.प्र. पिन कोड-484660 मोबाईल नंबर-9917877618	अनारक्षित वर्ग/ओपन
02	श्री देवेन्द्र कुमार मानव, पिता श्री दिनेश कुमार मानव, पता-18 मालहनवाड़ा, पोस्ट-छपारा, जिला-सिवनी म.प्र. पिन कोड-480884 मोबाईल नंबर-7828944958	अनुसूचित जाति/ओपन/20 संविदा कोटा
03	श्री विशाल तोमर, पिता श्री सवाई सिंह तोमर, पता-129 क, पटेल फलिया, बड़ी सर्दी, तहसील-कटोरी वाड़ा, जिला-अलीराजपुर म.प्र. पिन कोड-457893 मोबाईल नंबर-8085282271	अनुसूचित जनजाति/ओपन/बैकलॉग
04	श्री रविन्द्र ठाकरे, पिता श्री स्व.श्री दीपचंद ठाकरे, पता-वार्ड नं.03, ग्राम-बिठली, पोस्ट-बीजाटोला, तहसील-बिरसा जिला-बालाघाट म.प्र. पिन कोड-481051 मोबाईल नंबर-9993309542	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा
05	श्री जितेन्द्र पाटिल, पिता श्री शिवाजीराव पाटिल, पता-19, गणपति पल, अयोध्या नगर, जिला-भोपाल म.प्र. पिन कोड-462041 मोबाईल नंबर-9424597559	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समयावधि के अन्दर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टापपेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।

7. अभ्यार्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 8. अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

हस्ता/-

(अजय कुमार शर्मा)

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपालक्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/ 1207/2025/भोपाल,
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

दिनांक 16/05/25

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 5- परियोजना यंत्री, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 संभाग-01 भोपाल की ओर निर्देशित कर वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।

(आलोक निगम)

अधीक्षण यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदमदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआअविनि/स्था-3/

/2025/ भोपाल,

दिनांक

//आदेश//

मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (सिविल) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (सिविल)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्रं0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री अनुराग कड़ोले, पिता श्री फुलचंद कड़ोले, पता-735 नागझिरी रोड, ग्राम-करही तेहसील-महेश्वर जिला-खरगोन म.प्र. पिन कोड-451220 मोबाईल नंबर-9584379402	अनुसूचित जाति/ओपन

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

1. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समयावधि के अन्दर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टायपेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
3. अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
4. उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
5. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
7. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

(2)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

हस्ता / -

(अजय कुमार शर्मा)

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/ 1213/2025/भोपाल,

दिनांक.....16/05/25

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, मप्रपु आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, मप्रपु पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, मप्रपु पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) मप्रपु पु0आ0अ0वि0नि0।
- 5- परियोजना यंत्री, मप्रपु पु0आ0अ0वि0नि0 संभाग-01 भोपाल की ओर निर्देशित कर वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, मप्रपु पु0आ0अ0वि0नि0।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी ----- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।


(आलोक निगम)
अधीक्षण यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल